

झारखण्ड सरकार,  
जल संसाधन विभाग।

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) ल०सि० राँची-20/13

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री श्यामनाथ दूबे, तदेन सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, संप्रति सेवा-निवृत्त के विरुद्ध घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय संकल्प सं०- 1505 दिनांक 25.06.2014 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 बी० के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी तथा जाँच प्रतिवेदन में कतिपय प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष देय पेंशन से 10% की कटौती का दंड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक 1745 दिनांक-13.04.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री दूबे से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा पुनः विभाग के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत श्री दूबे द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया :-

(क) देय पेंशन राशि से 10% की कटौती सदा के लिए।

उक्त निर्णय पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। एतद् द्वारा उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/-


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव (नि०)

ज्ञापांक 3762

राँची, दिनांक 21-7-15

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा राँची/संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अधी० अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची/श्री श्यामनाथ दुबे, सेवा निवृत्त सहायक अभियंता, म० नं०-301, ब्लॉक-8 सेक्टर-1, खेलगाँव राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव (नि०)